



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावली

दिनांक 28.02.2025

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 11/25 धारा109(1)/64(1)बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.02.2025 को वादिया ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि वादिया की पुत्री के साथ अभियुक्त जोनी पुत्र जितेन्द्र कुमार नि0 जम्मु कॉलोनी यमुनानगर थाना यमुनानगर (हरियाणा) ने गलत कार्य किया व वादिया की पुत्री का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया । तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 11/25 धारा109(1)/64(1)बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही:-

थाना मंडावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जोनी पुत्र जितेन्द्र कुमार नि0 जम्मु कालोनी यमुनानगर थाना यमुनानगर (हरियाणा), हाल पता-ग्राम गिलहाडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जोनी पुत्र जितेन्द्र कुमार नि0 जम्मु कालोनी यमुनानगर थाना यमुनानगर (हरियाणा), हाल पता-ग्राम गिलहाडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर
2. उ0नि0(यु0टी0) श्री राहुल कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर
3. मुख्य आरक्षी दीपक थाना मंडावली जनपद बिजनौर



BIJNOR POLICE



माह फरवरी - 2025

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह फरवरी में कुल-51 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह फरवरी में कुल-51 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र० सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	कोतवाली शहर	122 / 25	64 / 137(2) / 352 / 351(2) बीएनएस व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट
2	कोतवाली शहर	88 / 25	87 बीएनएस वृद्धि धारा 64 बीएनएस
3	कोतवाली शहर	976 / 24	87 बीएनएस
4	कोतवाली शहर	05 / 25	87, 351(2), 61(2) बीएनएस
5	कोतवाली शहर	92 / 25	137 (2) बीएनएस
6	मण्डावर	23 / 25	137(2) / 75 / 65(2) / 62 / बीएनएस व 5 / 6 व 7 / 8 पॉक्सो एक्ट
7	नजीबाबाद	50 / 25	137(2) बीएनएस
8	नजीबाबाद	47 / 25	137(2) / 87 बीएनएस (02 बरामद)
9	नजीबाबाद	60 / 25	137(2) / 65(2) / 115(2) / 351(2) बीएनएस व 5 एम / 6 पॉक्सो एक्ट
10	नजीबाबाद	62 / 25	87 / 64(1) बीएनएस
11	किरतपुर	19 / 25	137(2) बीएनएस

12	किरतपुर	27 / 25	87 / 352 / 351(2) बीएनएस
13	किरतपुर	32 / 25	87 बीएनएस
14	चांदपुर	37 / 25	137(2) / 352 / 351(3) बीएनएस
15	चांदपुर	38 / 25	137(2) बीएनएस
16	नूरपुर	58 / 25	87 बीएनएस
17	नूरपुर	389 / 24	87 बीएनएस
18	नूरपुर	14 / 25	87 बीएनएस
19	नूरपुर	37 / 25	87 बीएनएस
20	हीमपुर दीपा	163 / 24	137(2) बीएनएस
21	हीमपुर दीपा	22 / 25	87 बीएनएस
22	शिवाला कला	15 / 25	137(2) बीएनएस
23	नगीना	22 / 25	87 / 61(2) बीएनएस
24	नगीना	26 / 25	137(2) / 61(2) बीएनएस
25	नगीना देहात	263 / 24	137(2) बीएनएस
26	नगीना देहात	264 / 24	87 / 351(2) बीएनएस
27	नगीना देहात	36 / 25	87 बीएनएस
28	नगीना देहात	252 / 24	87 बीएनएस
29	धामपुर	42 / 25	87 बीएनएस
30	धामपुर	50 / 25	87 बीएनएस
31	धामपुर	53 / 25	137(2) बीएनएस
32	धामपुर	60 / 25	87 बीएनएस
33	स्योहारा	58 / 25	137(2) / 65(1) बीएनएस व 3 / 4(2) पॉक्सो एक्ट
34	स्योहारा	54 / 25	87 बीएनएस वृद्धि धारा 74 बीएनएस
35	स्योहारा	65 / 25	137(2) बीएनएस
36	स्योहारा	47 / 25	87 / 61(2) / 351(3) बीएनएस
37	स्योहारा	49 / 25	87 / 137(2) / 61(2) / 351(3) बीएनएस
38	नहतौर	38 / 25	137(2) / 352 बीएनएस
39	नहतौर	23 / 25	137(2) बीएनएस
40	नहतौर	34 / 25	87 बीएनएस
41	नहतौर	25 / 25	87 बीएनएस
42	अफजलगढ	24 / 25	87 बीएनएस
43	अफजलगढ	14 / 25	87 बीएनएस
44	अफजलगढ	42 / 25	87 / 352 बीएनएस
45	शेरकोट	27 / 25	87 बीएनएस
46	शेरकोट	36 / 25	87 बीएनएस
47	शेरकोट	26 / 25	87 बीएनएस
48	रेहड	10 / 25	87 बीएनएस
49	रेहड	12 / 25	87 बीएनएस
50	रेहड	17 / 25	137(2) बीएनएस





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 28.02.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण:-

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मौ० शाहरूख पुत्र जकी निवासी कासमपुर गढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक की कैन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु०अ०सं० 64/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



अभियुक्त का विवरण-

मौ० शाहरूख पुत्र जकी निवासी कासमपुर गढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

एक प्लास्टिक की कैन में 20 लीटर कच्ची शराब

पुलिस टीम :-

1. मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. आरक्षी रजनीश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 28.02.2025

**थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 149/2025 धारा
65(2)/115(2)/351(2) बीएनएस 5(e)/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)v एससी/ एसटी एक्ट
में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.02.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि वादी की नाबालिक पुत्री के साथ अज्ञात अभियुक्त द्वारा अश्लील हरकत की व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर मु0अ0सं0 149/2025 धारा 65(2)/115(2)/351(2) बीएनएस 5(e)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में शुभम पुत्र तपराज निवासी ग्राम भरैरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में 3(2)v एससी/ एसटी/ एक्ट की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही:-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शुभम पुत्र तपराज निवासी ग्राम भरैरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शुभम पुत्र तपराज निवासी ग्राम भरैरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. का0 1860 सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का0 2605 निर्मल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. म0का0 2362 अंजली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर